राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम

अरावली मार्ग के सामने, शिप्रापथ, मानसरोवर, जयपुर 302020

परिपत्र क्रमांक:एफ ( ) RMFDCC/ वसूली 2020-21/ 716

दिनांक: 29.04.2020
5.5.2020

परिपत्र

भारतीय रिजर्व बैंक ने आदेश क्रमांक BI/2019-20/220 DOR.No.BP.BC.63/21.04.048/2019-20 दिनांक अप्रैल 17, 2020 द्वारा कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण देशव्यापी लॉकडाउन और उसके परिणामस्वरूप लोगों की आवाजाही पर लगाए गए प्रतिबंधों के मद्देनजर सभी अधीनस्थ बैंकों व गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं को सावधि ऋणों के संबंध में 1 मार्च 2020 और 31 मई 2020 के बीच के सभी किस्तों के भुगतान पर तीन महीने का अधिस्थगन देने की अनुमति दी गई है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुये राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम, जयपुर भी 'निगम' के नियमित ऋणियों के व्यापक हित में नियमित ऋणियों को 1 मार्च 2020 और 31 मई 2020 के बीच के सभी किश्तों के भुगतान पर अधिस्थगन देने का विकल्प निम्न शर्त के अध्याधीन प्रदान करता है। इसके अनुसार नियमित रूपसे भुगतान करने वाले ऋणी के पास 2 विकल्प होंगे:

1. वे पूर्व की भांति नियमित रूपसे ऋण की किश्त जमा करा सकते हैं, या
2. वे उक्त अवधि में जमा करायी जाने वाली किश्त को आगामी त्रैमास में जमा कराये जाने का विकल्प पत्र प्रस्तुत करें. परन्तु यह स्पष्ट रहे कि इससे पुनर्भुगतान अवधि किसी भी स्थिति में 5 वर्ष से अधिक न हो.

यदि ऋणी द्वितीय विकल्प चुनता हैं तो विकल्प पत्र के अनुसार आगामी किश्तें नियमित रूप से चुकाने पर उक्त अवधि के लिए ऋणी पर किसी प्रकार का दंडनीय ब्याज आरोपित नहीं किया जावेगा, तथापि बकाया राशि पर सामान्य ब्याज नियमानुसार देय होगा.

यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाना उपयुक्त रहेगा कि 'एक मुश्त समाधान योजना' की अवधि 31 मार्च, 2020 को समाप्त हो चुकी है. उक्त अवधि के पश्चात् योजना का लाभ नहीं दिया जावे. अन्य सभी नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित हैं।

अतः सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को एतद् द्वारा निर्देशित किया जाता है कि वे सभी ऋणियों को अपने स्तर से विषयान्तर्गत सूचित कर विकल्प पत्र प्राप्त करें और यदि ऋणी द्वारा कोई विकल्प पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो नियमानुसार ऋण वसूली किया जाना सुनिश्चित करें. विकल्प पत्र प्राप्त होने पर उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें. साथही वित्तीय वर्ष 2019-20 (1अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक) में अर्जित ऋण वसूली की नाम वार विस्तृत रिपोर्ट व 'एक मुश्त समाधान योजना' के अंतर्गत बंद हुये प्रकरणों में ऋणियों के नाम व वसूली गयी राशि की सूचना तैयार कर कार्यालय को 7 मई, 2020 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करें.

प्रबंध निदेशक

परिपत्र क्रमांक:एफ ( ) RMFDCC/ वसूली 2020-21/ 717-753

दिनांक: 29.04.2020
5.5.20

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित है:

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ तथा प्रशासक, राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम ,शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर को सूचनार्थ.
2. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान जयपुर
3. संयुक्त निदेशक (समाचार), सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से 'निगम' द्वारा दिए गए ऋण स्थगन की जानकारी दिलाने का कष्ट करें
4. प्रबंधक वित्त, राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम जयपुर
5. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, समस्त को पालनार्थ.

प्रबंध निदेशक